रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241350
CG-DL-E-23122022-241350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5785]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944**
No. 5785]	**NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944**

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6027(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (झ), खंड (ट) और खंड (ठ) , धारा 26 और धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से निम्नलिखित निदेश देती है कि: -

(क) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी, ऊर्जा प्रबंधक और मान्यता प्राप्त ऊर्जालेखा परीक्षक को पदाभिहित का नाम निर्दिष्ट करेगी या नियुक्त करेगी और नियुक्त ऊर्जा प्रबंधक द्वारा संचालित आवधिक ऊर्जा लेखा परीक्षा प्राप्त करेगी और नियुक्त मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा संचालित वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट को, अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021, तारीख 7 अक्तूबर, 2021-द्वारा प्रकाशित, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा के संचालन की रीति और अंतराल) विनियम, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित,के अनुसार राज्य अभिहित अभिकरण (एसडीए) और ब्यूरो को, प्रस्तुत करेगी।

(ख) यथा इन निर्देशों का पालन न करने या आवधिक ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट या वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट या ऐसी अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, गलत डेटा जमा करने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर, राज्य अभिहित एजेंसी या ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित कोई भी व्यक्ति संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग या संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए याचिका फाइल करेगा।

[फा. सं. 10/03/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

S.O. 6027(E).—In exercise of the power conferred by clauses (i), (k) and (l) of sections 14, 26 and 52 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency (BEE) hereby direct:--

(a) that every Electricity Distribution Company shall designate or appoint energy manager and accredited energy auditor and get periodic energy accounting conducted by the appointed energy manager and annual energy audit conducted by the appointed accredited energy auditor and furnish reports to the State Designated Agency (SDA) and Bureau in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 published vide notification No. 18/1/BEE/DISCOM/2021, dated the 7th October, 2021; as amended from time to time.

(b) that in case of non-compliance of these directions or and non-submission of periodic energy accounting reports or annual energy audit reports or such other reports as required, submission of incorrect data or misrepresentation of facts, the State Designated Agency or Bureau or any person as designated by the Central Government shall file petition for non-compliance to the respective State Electricity Regulatory Commission or Joint Electricity Regulatory Commission.

[F. No. 10/03/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6028(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009 के,नियम 3 में,-

(क) उप-नियम (1),के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(1) राज्य आयोग, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर यदि पहले से ही नियुक्त नहीं किया गया है तो एक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड (क) को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) यदि विद्यमान न्यायनिर्णयन अधिकारी, किसी कारण जैसे अधिवर्षिता, स्थानांतरण या छुट्टी पर जाने के कारण, से पद पर नहीं बना रहता है तो राज्य आयोग ऐसी घटना होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर एक वैकल्पिक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा।"

[फा. सं. 10/03/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सा.का.नि. 25, तारीख 21-3-2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.139 तारीख 25 अगस्त, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

S.O. 6028(E).—In exercise of the power conferred by section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, to further amend the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009, namely:--

1. (1) These rules may be called the Energy Conservation (Manner of Holding Inquiry) (Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009, in rule 3,--

   (A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:--

   "(1) The State Commission shall appoint an adjudicating officer, within one month from date of issuance of this notification, if not appointed already";

   (B) after sub-rule (1), the following clause (a) shall be inserted namely:--

   "(a) in case any existing adjudicating officer, cease to hold office due to any reason such as superannuation, transfer or proceeding on leave, the State Commission shall appoint an alternate adjudicating officer within one week, from the date of occurrence of such an event."

[F. No. 10/03/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, *vide* Notification GSR 25, dated 21-3-2009 and subsequently amended vide Notification number G.S.R. 139 dated 25th August,2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.23 22:22:05 +05'30'